

दिनांक

आज्ञा पत्र

2-7-18

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलेंट / रैस्पोंडेंट्स को
 वकील अपीलेंट अधिकारी महोदय आज 30/7/18
 पर है। अतः पत्रावली को आदेशानुसार दिनांक 1-10-18
 को पत्र है।

1-10-18

पत्रावली पेश। अपीलेंट को अपील के
 कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
 रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने की तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर दी जायेगी। वहल अपीलेंट को अपील के प्रति गम्भीर
 रहे / तलब किया जायेगा। अपीलेंट को अपील के प्रति गम्भीर
 15-11-18 में यदि
 स्थगन है तो अपीलेंट को अपील के प्रति गम्भीर है।

15-11-18

पत्रावली पेश। वकील अपीलेंट को अपील के प्रति गम्भीर
 आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
 अथवा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने रैस्पोंडेंट्स को रजिस्टर्ड नोटिस
 पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
 नहीं है। अतः अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 की जाती है। निर्णय को इजलास सुनया गया। पत्रावली फैसल सुनार होकर नज़र
 से कम होकर बाद तुरतीव तकमील दाखिल दफतर होन।

सत्यमेव जयते



कृ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

Not Official